



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**SITTING NOTICE**

File No NCST/SER-1148/MP/313/2023-RO-BH

Dated:- 11.11.2024

सेवा में,

Ms. Shobhana Bandopadhyaya  
General Manager  
West Central Railway  
Jabalpur (Madhya Pradesh) - 482001.  
Email:- [gm@wcr.railnet.gov.in](mailto:gm@wcr.railnet.gov.in), TelNo.- 0761-2627444

विषय:- श्री राकेश कुमार जेफ, आर.बी.4/423, न्यू यार्ड ऑफिसर कॉलोनी, इंटारसी (म.प्र.) - आवेदक को झूठे प्रकरण में फसाकर आवेदक का स्थानांतरण अन्य स्थान पर करने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन।  
संदर्भ:- पश्चिम मध्य रेल्वे पत्र क्रमांक पमरे /का. मुख्या./आरपी /1350/श्री रा.कु.जेफ/रा.अनु.ज.जाति.आ. -2024 दिनांक 21.03.2024

महोदया,


चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.11.2024** को **1:00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से सम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

  
(Dr. P. Kalyan Reddy)  
Director  
Tel:- 24641640

Copy to :-

श्री राकेश कुमार जेफ,  
Rb 4/432-A, न्यू यार्ड ऑफिसर कॉलोनी, इंटारसी,  
जिला-नर्मदापुरम (मध्य प्रदेश)  
Mobile No:9752417481

(यह सूचित किया जाता है कि दिनांक **18.11.2024** को **1:00 बजे** आयोजित सिटिंग में, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में उपस्थित हो।)